न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी	:	पृथ्वी पाल सिंह, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत प्रार्थनापत्र सं.	:	220/2026 (CIS NO. 220/2026)
CNR NO.	:	RJHG050003402026

मनोज कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र चाहर निवासी वार्ड नं. 10 टिब्बी पुलिस थाना टिब्बी।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ ।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2026 पुलिस थाना टिब्बी
अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री पूर्णसिंह जटाना अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से ।

–: आदेश :– **दिनांक : 15.05.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **मनोज कुमार** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। बहस जमानत प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2026 को कार्यवाहक थानाधिकारी श्री हरबंश लाल उ.नि. पीएस–टिब्बी मय मुलाजमान के गश्त के दौरान हंसराज पु.नि थानाधिकारी से जरिये फोन सूचना मिलने पर 5.40 पीएम पर मनोज कुमार के मकान के आगे गली आम में पहुंचे तो शख्स मनोज कुमार गेट पर उपस्थित आया जिसके मकान की तलाशी ली जानी शुरू की गई तो मनोज कुमार के पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब के अंदर एक पारदर्शी मोमजामा थैली में अवैध मादक पदार्थ हेरोईन/चिट्टा बरामद हुआ। जिसका वजन किया गया तो थैली सहित कुल वजन 7.93 ग्राम होना पाया गया। बरामदा मादक पदार्थ अपने कब्जा में रखने बाबत् लाईसेंस/परमिट पूछा, तो नहीं होना बताया। तत्पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया आदि। बाद मौका की समस्त कार्यवाही थाना पर वापिस आकर एफ.आई.आर. नं. 183/2026 अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान अमरसिंह पुनि पीएस–संगरिया को सुपुर्द किया गया। प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा झूठा व बेबुनियाद

बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक 01–05–2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण मे काफी समय लगने की संभावना है। प्रकरण में समस्त गवाहान अभियोजन पक्ष के खास व्यक्ति हैं, जिन्हें बाद जमानत डराये धमकाये जाने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 01.05.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त मनोज कुमार के रिहायशी मकान में उसके कब्जा से 7.93 ग्राम अवैध हेरोईन/चिट्टा बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक 01.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है जो करीब 14 दिन से अभिरक्षा में है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश :–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त मनोज कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद पचास हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं पचीस–पचीस हजार रूपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

7. आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

नोट :– जांचा एवं प्रमाणित।

CHARANJEET LAL

Digitally signed by CHARANJEET LAL
Date: 2026.05.29 10:46:48 +0530